मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 319–20 प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी./794/2017

भोपाल, दिनांक 19/03/2021

आवेदक

M/s Deepin Pharmaceuticals Pvt. Ltd.,
Director, Sanjay Purohit,
47-A Prem Nagar,
Manik Bagh Road,
Indore. - 452001 *(M.P.)*

विरूद्ध

अनावेदकगणः–

Chief Medical Health Officer,
Department of Public Health & Family Welfare,
Government of Madhya Pradesh,
District Hospital,
Barwani - 451 551 (M.P.)

सुनवाई दिनांक 06.02.2021

माध्यस्थम आदेश दिनांक 19-03-.2021

अनावेदक द्वारा दवाईयों हेतु जारी प्रदाय आदेश क्रमांक 02411000003/12–13, दिनांक 25.04.2012, के अनुसार आवेदक द्वारा प्रदायित सामग्री के विरूद्ध टैक्सेस सहित अनावेदक पर सम्पूर्ण/बकाया मूलधन राशि रू. 58,856/– एवं इस राशि पर दिनांक 20.08.2017 तक संगणित ब्याज राशि रू. 1,39,368/– तथा अप्राप्त फार्म नंबर 31 के विरूद्ध वैट टैक्स की राशि रू. 21,710/– एवं इस पर दिनांक 20.08.2017 तक की ब्याज राशि रू. 36,247/– कुल ब्याज राशि रू. 1,75,615/– इस प्रकार कुल दावा राशि 2,56,181/– एवं भुगतान दिनांक तक के ब्याज राशि के भुगतान/वसूली का दावा आवेदन पत्र काउन्सिल के समक्ष, दिनांक 06.09.2017 को प्रस्तुत किया है।

आवेदक द्वारा दावा आवेदन पत्र के समर्थन में अनावेदक द्वारा जारी निविदा प्रपत्र, प्रदाय आदेश, प्रदायित सामग्री के डिलीवरी चालान/परिवहन रसीद, प्रदायित सामग्री के भुगतान हेतु बिल्स/इन्वाईसेस, भुगतान प्राप्ति हेतु किये गये पत्राचार, आवेदक एवं अनावेदक के मध्य लेन–देन के खाते का ब्यौरा, आवेदक इकाई का उद्योग आधार सर्टीफिकेट एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है।

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 2595, दिनांक 06.12.2017 से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में बिन्दुवार उत्तर एवं सूलह प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत नही किया गया एवं न, ही कोई सूलह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

.....2

19/3/21

प्रकरण सुनवाई दिनांक 01.03.2018, 25.04.2019 एवं 06.02.2020 को सुनवाई/सुलह हेतु नियत किया गया।

सुनवाई दिनांक 06.02.2021 को उभयपक्ष उपस्थित ।

आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि, उन्हें अनावेदक से मूलधन एवं ब्याज राशि की प्राप्ति नहीं हुई है। अतः अनावेदक के विरुद्ध दावा आवेदन अनुसार भुगतान का आदेश पारित किया जाए।

अनावेदक ने काउन्सिल के समक्ष भुगतान करने की सहमति दी। अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि, विभाग राशि रु0 58,856/– भुगतान करने हेतु सहमत है ।

काउंसिल बैठक में उभयपक्ष की सहमति के आधार पर मूलधन राशि रु0 58,856/– के भुगतान हेतु समझौता आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया। अंतिम आदेश पारित हो।

आवेदक द्वारा दावा आवेदन पत्र अन्तर्गत निम्नानुसार दावा प्रस्तुत किया गया है:–

1. आवेदक द्वारा अनावेदक को वर्ष 2012–13 में बिल क्रमांक DPPL/12-13/287, दिनांक 19.06.2012 के माध्यम से प्रदायित सामग्री की कुल पूर्ण बकया मूलधन राशि रू. 58,856/– एवं इस बकाया राशि पर, दिनांक 20.08.2017 तक की ब्याज राशि रू. 1,39,368/– का दावा प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक द्वारा अनावेदक को वर्ष 2012–13 से 2013–14 तक 9 इन्वाईसेस से प्रदाय की गई सामग्री की कुल राशि रू. 4,55,898/– में से अनावेदक द्वारा वैट टैक्स की कुल राशि रू. 21,710/– की कटौती कर, आवेदक को भुगतान किया गया, किन्तु अनावेदक द्वारा वैट टैक्स कटौती का फार्म नम्बर 31 आवेदक को प्रदाय नही किया गया, जिससें बिलों की वैट टैक्स राशि का भुगतान आवेदक द्वारा शासन को मय दण्ड राशि एवं ब्याज सहित किया गया है। अतः आवेदक द्वारा वैट टैक्स की राशि रू. 21,710/– एवं इस बकाया राशि पर दिनांक 20.08.2017 तक की ब्याज राशि रू. 36,247/– का दावा प्रस्तुत किया है।

प्रकरण के परीक्षणोंपरान्त पाया कि अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का कोई प्रतिकार उत्तर प्रस्तुत नही किया है एवं न, ही कोई सूलह प्रस्ताव दिया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा अनावेदक द्वारा प्रदत्त प्रदाय आदेश, आवेदक द्वारा जारी इन्वाईसेस, प्रदायित सामग्री की परिवहन रसीद, ऑडिटेड बैलेन्स शीट/लेज़र से आवेदक द्वारा अनावेदक को सामग्री प्रदाय किये जाने एवं प्रदायित सामग्री की कुल राशि रू. 58,856/– अनावेदक पर बकाया होने की पुष्टि होती है।

आवेदक द्वारा दावा की गई वैट टैक्स की राशि रू. 21,710/– के संबंध में लेख किया है कि अनावेदक द्वारा फार्म 31 आवेदक को प्रदाय नही करने से समस्त बिलों की वैट टैक्स राशि का भुगतान आवेदक द्वारा शासन को मय दण्ड राशि एवं ब्याज सहित किया गया है, किन्तु आवेदक द्वारा इससे सम्बन्धित बिल्स, एवं बिलों की वैट टैक्स राशि का भुगतान मय दण्ड राशि एवं ब्याज सहित, सम्बन्धित शासकीय विभाग को किये जाने के अभिलेख, दावा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत

.....3

नही किये गये है, जिससे आवेदक द्वारा दावा की गई वैट टैक्स की राशि रू. 21,710/–की पुष्टि नही होने से, वैट टैक्स की राशि रू. 21,710/– का दावा अमान्य/खारिज किया जाता है।

सुनवाई दिनांक 06.02.2021 को आवेदक की सहमति के आधार पर अनावेंदक पर बकाया मुलधन राशि रू. 58,856/– का भुगतान अनावेदक द्वारा आवेदक को किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक Chief Medical Health Officer, Department of Public Health & Family Welfare, Government of Madhya Pradesh, District Hospital, Dhar (M.P.) द्वारा, बकाया मूलधन राशि रू. 58,856/– (रूपये अट्ठावन हजार आठ सौ छप्पन मात्र) का भुगतान आवेदक M/s Deepin Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Director, 47-A Prem Nagar, Manik Bagh Road, Indore.(M.P.) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्षम प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

19/3/21
(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।